The Federal Aviation Administration *Airworthiness Directives* and M/s. Boeing's instructions are applicable to Boeing 737 aircraft with line Nos. 001 through 464 and a total of 12 Boeing 737 aircraft of Indian Airlines are involved. Inspections as stipulated have been complied with by Indian Airlines and no defects have been observed.

Change in the Site of D.T.C. Terminal

2362. SHRI N. RAJANGAM: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the D.T.C. authorities have changed the terminal at Gate II-A, New Delhi Railway Station to Minto Road Terminal;

(b) what are the reasons therefor;

(c) whether it is also a fact that it causes difficulties to the passengers and visitors to reach their local destinations; and

(d) by when the Terminal is likely to be restored to old site?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI RAJESH PILOT): (a) to (d) Keeping in view the over-crowding and other road safety and traffic problems, the Bus terminal had to be changed from Gate-II to Minto Road Terminal, as per advice of the Delhi Traffic Police and Railway authorities. This arrangement is considered more safe for the public. In view of these considerations and also the fact that all the five terminals in the vicinity are within a walking distance, no change is contemplated.

दिल्ली प्रशासन के स्कूलों में ड्राइंग शिक्षकों द्वारा ज्येष्ठ वेतन-मान की मांग

2363 **श्री सोहन लाल धूसिया :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के स्कूलों में ड्राइंग शिक्षकों के वेतनमान 27-7-1978 से बढ़ाये गए थे, किन्तु उन्हें 20-25 वर्ष की सेवा के उपरांत भी ज्येष्ठ वेतन-मान या चयन ग्रेड का वेतनमान नहीं दिया गया है जबकि कुछ अन्य श्रेणियों को 1-1-1986 से बारह वर्ष की सेवा के बाद ज्येष्ठ वेतनमान दे दिया गया है और 24 वर्ष की सेवा के बाद चयन वेतनमान दे दिया गया है ;

(ख) क्या इस असंगति के कारण ड्राइंग शिक्षकों में भारी रोष है और दिल्ली प्रशासन ने उनके मंत्रालय को इस संबंध में बार-बार लिखा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस असंगति के क्या कारण हैं और सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० साही) : (क) से (ग) : ग्रेड III ड्राइंग अध्यापकों का वेतन मान 1978 में बढ़ाया गया था और तीन वर्ष की सेवा सहित ग्रेड III के ड्राइंग अध्यापकों को ग्रेड II के पात्र बनाया गया । नियमों के अनुसार, ग्रेड III के ड्राइंग अध्यापक, जिन्होंने उच्च ग्रेड प्राप्त कर लिया है, उन्हें ग्रेड II से पहले ड्राइंग अध्यापकों के नीचे उच्च ग्रेड में बरीयता दी गई । सीनियर वेतनमान प्राप्त करने के लिए एक अध्यापक को मूल वेतनमान में 12 वर्ष की सेवा करनी होती है । अतः वे अध्यापक जिन्होंने 1978 में वेतनमान लिया, वे 1990 में सीनियर वेतनमान के पात्र होंगे । इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है ।

Strategies to Promote Literacy

2364. SHRI JOHN F. FERNANDES: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government are considering various proposals to design